I/अपील/दतिया/2017/1546

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ./2017 अपील

श्री लखन सिंह धाकड़ एड. द्वारा आज दि. 29/05/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 29/5/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1– ब्रजकिशोर अहिरवार

2– बद्रीप्रशाद अहिरवार

3– राकेश अहिरवार

निवासीगण– ग्राम कटीली, तहसील व जिला दतिया म.प्र........ अपीलार्थीगण

बनाम्

म.प्र.शासन ....प्रतिअपीलार्थी

Lakhan Singh Dhakar
Advocate
29/05/17

अपील आवेदन पत्र अर्तगत धारा 35 (4) म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क. 25/13–14 विविध में पारित आदेश दिनांक 18.04.17 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत्।

माननीय न्यायालय,

अपीलार्थीगण की ओर से अपील आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कलेक्टर महोदय जिला दतिया के आदेश दिनांक 24.01.12 के विरूद्ध अपील पेश की गई थी। उक्त अपील प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा पैरवी करने हेतु श्रीमती उमा कुशवाह अभिभाषक व उनके सहयोगी अभिभाषक को नियुक्त किया गया था। अपीलार्थीगण द्वारा प्रकरण में अभिभाषक नियुक्त कर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एल/निगरानी दतिया / भू.रा. / 2017 / 1546 जिला – दतिया

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05.12.2017	प्रकरण का अवलोकन किया। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अपर आयुक्त के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी / उसके अभिभाषक को 6 अवसर दिए जाने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण दिनांक 15.05.2012 को समाप्त किया गया। इसके पुनर्स्थापन हेतु आवेदन दिनांक 10.03.2014 को प्रस्तुत किया गया। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में दिनांक 15.05.2012 से 10.03.2014 तक विलंब का पर्याप्त समाधानकारक कारण नहीं बताये जाने के कारण पुनर्स्थापन आवेदन अस्वीकार किया गया। इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक द्वारा ऐसा कोई समाधानकारक कारण नहीं बताया गया है जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक हो। दर्शित परिस्थिति में यह अपील ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	

(3)